

## आदेश

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन वर्ष-2019 के रिक्त 32 पदों के सापेक्ष चयनित 32 कर्मी तथा पूर्व चयन वर्ष के 01 कर्मी कुल 33 कर्मियों को मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद/इकाई एवं वाहिनी में जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है ।

क्र० सं०	पदनाम	पीएनओ न०	कर्मी का नाम	गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को
1	2	3	4	5	6	7
1	मु०आ० चालक	980650208	रामब्रेश चन्द्र	एटा	कमिश्नरेट लखनऊ	खीरी
2	आरक्षी चालक	030500785	अजय कुमार पाण्डेय	चित्रकूट	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय लखनऊ	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
3	आरक्षी चालक	980651706	संजय यादव	गाजीपुर	कमिश्नरेट प्रयागराज	कमि० प्रयागराज
4	आरक्षी चालक	030720376	वेद प्रकाश पाठक	मिर्जापुर	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय लखनऊ	अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ
5	आरक्षी चालक	980481064	प्रवीण कुमार सिंह	चित्रकूट	मीरजापुर	कमि० वाराणसी
6	मु०आ० चालक	910450070	प्रेम नारायण	चित्रकूट	मीरजापुर	कानपुर देहात
7	आरक्षी चालक	30460270	देवेन्द्र कौशिक	अमरोहा	बरेली	बदायूँ
8	मु०आ० चालक	920640065	उमेश प्रताप सिंह	आजमगढ़	अमेठी	35वीं पीएसी लखनऊ
9	आरक्षी चालक	980590674	दिनेश सिंह यादव	गाजीपुर	20 पीएसी आजमगढ़	हमीरपुर
10	आरक्षी चालक	980700945	दिनेश कुमार	मेरठ	बुलन्दशहर	कमि० आगरा
11	आरक्षी चालक	40570091	अनिल यादव	सिवान(विहार)	गोरखपुर	25वीं पीएसी रायबरेली
12	मु०आ० चालक	910670108	कल्याण सिंह	झाँसी	कमि० कानपुर नगर	एटा
13	आरक्षी चालक	980670428	चन्द्रशेखर	मऊ	जौनपुर	42वीं पीएसी प्रयागराज
14	आरक्षी चालक	030690253	बृजेश कुमार पंकज	जौनपुर	34वीं पीएसी वाराणसी	सीतापुर
15	मु०आ० चालक	880510444	अरुण कुमार ओझा	प्रतापगढ़	उन्नाव	27वीं पीएसी सीतापुर
16	आरक्षी चालक	030550953	संजय कुमार गुप्ता	गाजीपुर	कमिश्नरेट लखनऊ	कमि० आगरा
17	आरक्षी चालक	30510409	आनन्द कुमार यादव	आजमगढ़	प्रतापगढ़	26वीं पीएसी गोरखपुर
18	मु०आ० चालक	871200022	महेन्द्र प्रताप सिंह	आजमगढ़	उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ	फतेहगढ़
19	मु०आ० चालक	940551059	फुल कुमार	बुलन्दशहर	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	मैनपुरी
20	आरक्षी चालक	980530359	शेषनाथ यादव	मऊ	कमिश्नरेट वाराणसी	विजिलेन्स मुख्यालय, लखनऊ
21	आरक्षी चालक	980460883	सुनील कुमार	आजमगढ़	कमि० वाराणसी	एस०डी०आर०एफ० लखनऊ
22	मु०आ० चालक	942320987	जनार्दन यादव	संतकबीरनगर	गोरखपुर	द्वितीय पीएसी सीतापुर
23	आरक्षी चालक	030481103	अनिल कुमार	अमरोहा	बरेली	पुलिस अकादमी मुरादाबाद

24	मु0आ0 चालक	960480603	रामकुमार सिंह	एटा	बुलन्दशहर	15वीं पीएसी आगरा
25	आरक्षी चालक	030770267	कृष्णकुमार	जालौन	उन्नाव	33वीं पीएसी झॉसी
26	आरक्षी चालक	030580956	अनुज कुमार चौरसिया	गाजीपुर	कमिश्नरेट प्रयागराज	रेडियों मुख्यालय, लखनऊ
27	आरक्षी चालक	030450064	जितेन्द्र सिंह	महराजगंज	बस्ती	32वीं पीएसी लखनऊ
28	आरक्षी चालक	980630857	जय प्रकाश सिंह	बलिया	कमिश्नरेट लखनऊ	सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ
29	आरक्षी चालक	051750086	शिव सम्पत तिवारी	चित्रकूट	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ	एस0टी0एफ0 लखनऊ
30	आरक्षी चालक	960480179	प्रदीप कुमार	औरैया	कमिश्नरेट कानपुरनगर	37वीं पीएसी कानपुर
31	मु0आ0 चालक	920470394	प्रेमपाल सिंह	मैनपुरी	बरेली	38वीं पीएसी अलीगढ़
32	आरक्षी चालक	900560068	शिव पूजन यादव	आजमगढ़	कमिश्नरेट लखनऊ	45वीं पीएसी अलीगढ़
33	मु0आ0 चालक	900440252	परशु राम चौहान	बलिया	एस0टी0एफ0, उ0प्र0	सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ

2. उपरोक्त कर्मी नवनियुक्ति जनपद/इकाई एवं वाहिनी में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3- मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी चालको एवं आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-5-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, सम्बन्धित मुख्य आरक्षी चालक/ आरक्षी चालक के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक एवं मुख्य आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित वृस्तुत आख्या लाजिस्टिक्स इकाई लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- यदि सम्बन्धित कर्मी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लाजिस्टिक्स इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- उपरोक्त कर्मियों को दिनांक 18/02/23 तक नवनियुक्ति जनपद/इकाई एवं वाहिनी में स्थानान्तरण पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

उक्त आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप "क" उ०प्र० पुलिस की बेवसाईट **uppolice-police units-Logistics-carcule** पर प्रदर्शित है।

सलग्नक: प्रारूप "क"

16/2/23  
( रोहन पी. कनय )

पुलिस अधीक्षक

निमि० अपर पुलिस महानिदेशक "लाजिस्टिक्स"

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ**

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

संख्या: लाजि०-एम०टी०- 04 / 2022(मु०आ०टी०स्था०)

दिनांक: फरवरी, 16, 2022

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं:-**

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक "स्थापना" उ०प्र० ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक /सदस्य, उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक /पुलिस महानिदेशक के जी०एस०ओ० उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ /सुरक्षा मुख्यालय/अभिसूचना मुख्यालय/रेडियों मुख्यालय/विजिलेन्स मुख्यालय लखनऊ/पुलिस अकादमी मुरादाबाद/।
- 5- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/प्रयागराज
- 6- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन।
- 7- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक समस्त परिक्षेत्र ।
- 8- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर/बरेली/अमेठी/बुलन्दशहर/गोरखपुर/जौनपुर/उन्नाव/प्रतापगढ़/बरेली/बस्ती/खीरी/कानपुर देहात/बदायूँ/हमीरपुर/ एटा/सीतापुर/फतेहगढ़/मैनपुरी।
- 9- सेनानायक, द्वितीय सीतापुर /15वीं आगरा/ 20वीं आजमगढ़/25वीं रायबरेली/26वीं गोरखपुर/27वीं सीतापुर/32वीं लखनऊ/33वींझॉंसी / 34वीं वाराणसी /35वीं लखनऊ/37वीं कानपुर/38वीं अलीगढ़/42वीं प्रयागराज/45वीं अलीगढ़/एसडीआरएफ लखनऊ।
- 10- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ।

**स्व-घोषणा-पत्र**

मैं \_\_\_\_\_ (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ थाना \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_ वर्तमान में (जनपद / इकाई  
का नाम) \_\_\_\_\_ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(ख) रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिय जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा- पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

**हस्ताक्षर**

**(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)**

**नियुक्ति स्थान/दिनांक**

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील ) नियमावली -1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण \_\_\_\_\_

(2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद /इकाई \_\_\_\_\_ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक \_\_\_\_\_ को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं० \_\_\_\_\_ धारा \_\_\_\_\_ थाना \_\_\_\_\_

जनपद \_\_\_\_\_ में लम्बित है, जिसमें दिनांक \_\_\_\_\_ को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी \_\_\_\_\_ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में \_\_\_\_\_ स्तर पर चल रहा है।

**हस्ताक्षर**

**(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)**

**नियुक्ति स्थान/दिनांक**

**प्रमाणित**

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/ पदनाम की मुहर

**नोट:-** स्वघोषणा- पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।